भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **4960**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022/11 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक राजसहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

4960. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को उर्वरक राजसहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि उर्वरक राजसहायता पर डीबीटी से देश में उर्वरकों की उपलब्धता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने किसानों को डीबीटी दिया गया है; और

(ड.) क्या सरकार को बिचौलियों द्वारा डीबीटी का कथित दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): उर्वरक विभाग ने 1 मार्च, 2018 तक सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता दुकान पर लगाए गए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से किसानों/क्रेताओं को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है।

(ख) और (ग): नीति आयोग द्वारा नियुक्त एजेंसी 'मेसर्स माइक्रोसेव' द्वारा दो विस्तृत एवं स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन संचालित किए गए। माइक्रोसेव द्वारा किए गए मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन से उर्वरक वितरण का सरलीकरण हुआ है। सभी जिलों के खुदरा विक्रेताओं और किसानों ने नीम लेपन के कारण यूरिया की 'कोई कमी नहीं' संबंधी सूचना दी है।

ii. एमएफएमएस आईडी के माध्यम से निगरानी में सुधार हुआ है अर्थात उर्वरक कंपनियों ने राजसहायता भुगतानों में विलंब से बचने के लिए एमएफएमएस प्रणाली पर खोजे न जा सकने वाले खुदरा विक्रेताओं और सहकारी डिपो को अपनी सूची में रखा है।

iii. खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक वसूली किया जाना कम हुआ है क्योंकि किसानों द्वारा की गई उर्वरक की प्रत्येक खरीद पर पीओएस मशीनों द्वारा निकलने वाली रसीद में किसानों द्वारा किया गया एमआरपी का भुगतान और किसानों द्वारा क्रय किए गए उर्वरक की मात्रा पर सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायता के घटक दोनों का उल्लेख होता है।

iv. सीमा पार अर्थात किशनगंज से नेपाल और बंगलादेश की सीमा के पार भी बिक्री में कमी हुई है।

v. संबंधित हितधारकों के लिए रिपोर्टें https://www.fert.nic.in और www.urvarak.nic.in पर प्रकाशन/रिपोर्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(घ): गत दो वर्ष के दौरान डीबीटी के तहत क्रेताओं की संख्या निम्नानुसार है:-

सभी उर्वरक उत्पादों की वर्ष-वार क्रेता गणना		
क्रम.सं	**वर्ष**	**आधार वाले क्रेता की गणना संख्या**
1.	वित्तीय वर्ष 2020-21	4,54,87,885
2.	वित्तीय वर्ष 2021-22 (28.03.2022 तक)	6,69,80,127

(ङ.): जी, नहीं।

****